न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 01/2012 (2011/00357)

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. सन्तरो पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. विजय सिह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. राजो देवी बेवा लक्ष्मण सिह जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा तहसील रायसिह नगर, जिला श्रीगंगानगर।
4. बलवीर सिह पुत्र लक्ष्मण सिह —फौत

4/1 कौशल्या बाई धर्मपत्नी स्व0 बलवीर सिह जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/2 सतपाल पुत्र स्व0 बलवीर सिह जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा तहसील रासिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/3 गुरदास पुत्र स्व0 बलवीर सिह जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा तहसील रासिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —फौत

4/3/1 जसवीर कौर पत्नी दुरदास जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा तहसील व जिला श्रीगंगगानगर।

4/4 पम्मी (परमजीत कौर) पुत्री स्व0 बलवीर सिह धर्मपत्नी श्री गुरनाम सिंह जाति रायसिख निवासी दलवीर खेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।

4/5 सोमा बाई पुत्री स्व0 बलवीर सिह धर्मपत्नी श्री मंजीत सिह जाति रायसिख निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

4/6 मायाबाई धर्मपत्नी स्व0 श्री कशमीर सिह पुत्र श्री लक्ष्मण सिह जाति रायसिख निवासी 27—ए, अनूपगढ तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर हाल राव वाली तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

5. अर्जन सिह पुत्र लक्ष्मण सिह जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —फौत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5/1 गुरमीत सिंह पुत्र स्व0 अर्जन सिह जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा हाल 18 पी तहसील अनूपगढ

6. हरनाम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी छोटा लालपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोडेंट

(2) अपील संख्या 35/2011 (2011/00375)

1. हरनाम सिह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिह
2. सतनामो बाई पुत्रीस्व लक्ष्मण सिह
3. बलविन्द्र सिह पुत्र स्व0 सतनाम सिह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिह
4. माया बाई पत्नी स्व0 कश्मीर सिह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिह
5. प्रकाश सिंह पुत्र सव0 कश्मीर सिह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिह
6. गुरमीत सिह पुत्र स्व0 अर्जन सिह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिह

} अकवाम रायसिख निवासी गांव छोटा लालपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट

बनाम

7. सन्तरो पत्नी औमप्रकाश
8. विजय सिह पुत्र अमीचन्द

} जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी, टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. तहसीलदार राजस्व, टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
10. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 बलवीर सिह
11. सतपाल पुत्र स्व0 बलवीर सिह
12. गुरदास पुत्र. स्व0 बलवीर सिह
13. मु0 पम्मी पुत्री स्व0 बलवीर सिह
14. सोमाबाई पुत्री स्व0 बलवीर सिह

} अकवाम रायसिख, निवासी गांव छोटा लालपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएकट
विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.03.2011
द्वारा उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
प्रकरण संख्या 277/2011 अनवान सन्तराम बनाम रजो बाइ

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं0 1/2022 (2011/00357)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलाण्ट अपील सं0 35/2011
श्री लोकेश शर्मा औमप्रकाश मोदी, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1 व 2
श्री अनिल शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4/2, 4/4, 4/6, 4/5, 3/1

निर्णय दिनांक 01.06.2023

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 7 सी0डी0आर0 के प. नं. 229/243 कि0 नं0 5, 6, 14, 15 व प0 नं0 230/243 के किला नं. 1, ,8 से 13 कुल 2.707 है0 भूमि को आवंटी लक्ष्मण सिह से जरिये ईकरारनामा क्रय करना दर्शाते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा नियमन आदेश जारी किया, जिससे व्यथति होकर उपरोक्त दो अपीलें प्रस्तुत हुई हैं। दोनों अपीलें एक ही भूमि एवं समान पक्षकार तथा एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपील सं0 01/2012 में अपीलाण्ट के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेसपोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मूल आवंटन द्वारा भूमि बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी भी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता है। आवंटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज में जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई जांच नहीं की गई। तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। मूल आवंटन पत्रावली तलब नहीं की गई। विक्रय विलेख सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नही था एवं नियमन हेतु आवेदन पत्र विधिक प्रावधानानुसार भी प्रस्तुत नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।
4. अपील सं0 35/2011 में अपीलाण्ट के अधिवकता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पिता लक्ष्मणसिह पुत्र ज्वालासिंह को तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ को पुनर्वास विभाग से चक 7 सीडीआर कमें कुल 2.707 है0 कृषि भूमि आवंटित की थी। जिस पर वह और उसका परिवार काबिज हुआ। इस कृषि भूमि पर आज भी अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सं0 4 ता 8 का संयुक्त कब्जा एवं धारण चला आ रहा है। इस कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल लक्ष्मण सिह के समस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वारिसान के नाम दिनांक 05.11.2009 को स्वीकृत हो चुका है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 8 की इस भूमि के गैर खातेदार दर्ज कागजात माल है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादापधीन कृषि भूमि के बेचान का इकरारनामा रजो बेवा लक्ष्मणसिह, बलवीरसिंह, अर्जन सिंह, हरनाम सिंह पि0 स्व0 लक्ष्मणसिह व माया बेवा कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह की और से दिनांक 01.04.1992 को निष्पादित किये जाने के कथनों के साथ इस कृषि भूमि पर इस इकरानामा की रूह से अपना कब्जा होना अभिकथित करते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा भूमि को अपने नाम नियमन करवा लिया है जो विधि विरूद्ध है। इकरारनामा के आधार पर भूमि का नियमन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इकरारनामा सम्पति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अंतरण दस्तावेज की परिभाषा में नहीं आता है। इकरारनामा के आधार पर किसी भूमि में हक व अधिकार ही निहित हो सकते जब तक इकरारनामा की विशिष्ट पालना सक्षम सिविल न्यायालय से न करवा ली जावे। दिवंगत बलवीर सिह जिसका देहांत दिनांक 26.03.2011 को हो चुका है को सुनवाई हेतु उक्त प्रकरण में कोई नोटिस जारी नही किया। ऐसा नोअिस जारी करने सम्बन्धी कोई उल्लेख जिस अखबार में नोटिस छपवाया गया है, उसका सामान्य कोई प्रसार–प्रसार नहीं है व न ही ग्रामीण क्षेत्रों मे समाचार पत्रों को पढा जाता है। अपीलार्थीगण का पता गलत दर्शाया गया है जबकि उनकी सकूनत छोटा लालपुरा तहसील रायसिहनगर, प0 नं0 तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ लिखी गई है, इसी प्रकार का उल्लेख आदेश में भी मिलता है। अपीलार्थीगण को व्यक्तिगत तौर पर प्रकरण के नोटिस भिजवाये जाने कानूनन आवश्यक थे, परंतु जान बूझकर प्रावधित विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2018 के विरूद्ध अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दिवानी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। प्रश्नगत भूमि की कब्जा काश्त रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के पास है। कृषि भूमि रज्जाबाई, बलवीरसिंह आदि ने दिनांक 01.04.1992 को रेस्पोडेण्ट स0 1 व 2 को विक्रय करने का सौदा कर रू0 प्राप्त किये थे। उसी दिन रज्जो बाई व बलवीरसिह के द्वारा इकरारनामा तहरीर व तकमील करवाकर नोटेरी से अनुप्रमाणित करवाया जाकर रेस्पो0 सं0 1 व 2 को सुपुर्द कर दिया था। इस इकरारनामा दिनांक 01.04.1992 को निष्फल करने के आशय से वादी मनीराम ने कूटरचित इकरारनामा दिनांक 24.12.1994 को तैयार करवाया है। इस इकरारनामा दिनांक 24.12.1994 के अस्तित्व में आने से पूर्व ही यह कृषि भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पो0 सं0 1 व 2 व सन्तरों के कब्जा काश्त में चली आ रही थी जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को है। माननीय सिविल न्यायालय वाद सं0 122/12 अनवान मनीराम बनाम हरनामसिंह आदि व मूल वादी सं0 368/14 विजयसिंह बनाम बलवीरसिंह आदि पेश हुआ था जिसमें मनीराम की और से प्रस्तुत वाद सं0 122/12 मनीराम बनाम हरनाम सिंह के विक्रय अनुबंध दिनांक 24.12.1991 एवं स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया गया है एवं विजयसिंह की और से प्रस्तुत वाद सं0 368/14 विजयसिंह आदि बनाम बलवीरसिह आदि बाबत विक्रय अनुबंध दिनांक 01.04.92 में वर्णित 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा घा कृषि भूमि की सीमा तक मय खर्चा डिक्री किया गया है और स्व0 लक्ष्मणसिह के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादीगण बलवीरसिह आदि के द्वारा पालना नहीं करने पर राशि न्यायालय में जमा करवाने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय आदेश माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं0 2 के अनुसार विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्राथ्रना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील सं0 1/2012 अनवान सरकार बनाम सन्तरो अंदर मिशद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है, लक्ष्मणसिह पुत्र ज्वालासिंह को तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ को पुनर्वास विभाग से चक 7 सीडीआर की कुल 2.707 है0 कृषि भूमि आवंटित की गई थी व 6 सी.डी.आर की 3 बीघा .759 कुल तादादी 13 बीघा 14 बिस्वा जिसका इकरारनामा दिनांक 01.04.92 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में होने के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उपरौक्त इकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना का वादपत्र दीवानी वाद पत्र संख्या 368/2014 बअनवानी विजय सिंह आदि बनाम बलवीर सिह आदि प्रस्तुत हुआ, माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2018 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा उपरोक्त 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 9 बीघा भूमि का नियमन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के हक में होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने सिविल न्यायालय में 9 बीघा कृषि भूमि की सीमा तक अपने वाद को वापिस ले लिया। सिविल न्यायालय ने इकरारनामा दिनांक 01.04.1992 के निष्पादित होने की अवधारणा पारित की लेकिन 9 बीघा भूमि का नियमन हो जाने के कारण इस हद तक वादपत्र वापिस ले लिया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.03.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.6.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़